

कार्यालय नगर आयुक्त, नगर निगम रुद्रपुर (ऊधमसिंह नगर)

e-mail:- nagarnigamrudrapur@gmail.com visit-www.nagarnigamrudrapur.com

दरवाजा- 05944-242400

पत्राक-

/ साठनिंअनु० / को०स०० / २०२०-२१

दिनांक-

/ २०२०

"कोटेशन सूचना"

नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2020-21 में पंजीकृत समस्त ठेकेदारों/फर्मों को सूचित किया जाता है कि नगर निगम रुद्रपुर द्वारा निम्नांकित निर्माण कार्य कराये जाने हैं जिस हेतु दिनांक १२-१०-२०२० को अपराह्न १.०० बजे तक सीलबन्द कोटेशन आमंत्रित किये जाते हैं। प्राप्त कोटेशनों को तदनिम्नोंको अपराह्न २.०० बजे से गठित कोटेशन समिति द्वारा उपरिथित कोटेशनदाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। अपरिहार्य कारणों से कोटेशन खोलने की तिथि व समय में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। प्राप्त कोटेशनों में से किसी एक या समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताये रखीकृत या अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित है। अधिक जानकारी एवं शर्तों कार्यालय नगर निगम रुद्रपुर के कक्ष संख्या 27 निर्माण अनुभाग से प्राप्त की जा सकती है। न्यूनतम कोटेशनदाता को रखीकृत उपरान्त कार्य तत्काल प्रारम्भ करना होगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है-

क्र. सं	कार्य का नाम	आगणन की धनराशि (लाख में)
1.	वार्ड न० ०१ में विकास नगर कालोनी लमसा में तोता राम के घर के पास पानी निकासी हेतु ह्यूम पाईप डालकर पुलिया का निर्माण।	1.16
2.	वार्ड न० ०१ कृष्णा आपरा कालोनी में जनपद रोड से शिव मन्दिर तक नाली निर्माण कार्य।	2.35
3.	वार्ड न० ०५ मुख्यर्जी नगर में ०८ पुलिया का निर्माण कार्य।	2.06
4.	वार्ड न० ०८ में अरविन्द यादव के घर से ज्ञान प्रकाश के घर तक सी०सी० रोड व दोनों साइड निर्माण कार्य।	0.91
5.	वार्ड न० ०८ विवेक नगर मदूसूदन के घर से परवीन्द्र के घर व किरन के घर तक सी.सी. सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	2.48
6.	वार्ड न० १४ में श्री लाल बाबू व श्री गोपल जी के घर के सामने पुलिया का निर्माण कार्य।	1.01
7.	मोहल्ला रेशमबाड़ी में रियासत अली के घर से सलिम के घर तक सी०सी० सड़क व नाली निर्माण कार्य।	2.49
8.	वार्ड न० २१ भूतबंगला में बाल्मीकि मन्दिर में टाईल्स फर्श व पेन्ट का निर्माण कार्य।	2.46
9.	वार्ड न० २२ रम्पुरा में बाल्मीकि मन्दिर में शौचालय व स्नानगृह का निर्माण कार्य।	2.49
10.	वार्ड न० २२ में राजू के घर से सुनील सेठी के घर तक सी० सी० रोड व नाली निर्माण।	1.84
11.	वार्ड २३ में मुन्ना टैट से गंगाप्रसाद चक्की बालों के घर तक सी०सी० रोड व नाली निर्माण कार्य।	0.50
12.	वार्ड न० २५ फाजलपुर महरौला फेस ०५ में श्री भूरेलाल के घर तक सी०सी० रोड व दोनों साइड नाली निर्माण।	2.49
13.	वार्ड न० २६ में थाने के पीछे महमूद मियां बाली गली में नाली के ऊपर लोहे का जाल लगाने के रथान पर आर.सी.सी. स्टैब का निर्माण कार्य।	0.96
14.	वार्ड न० २८ में मुख्य बाजार में मनिहारी गली में कृष्ण क्लाथ हाउस से विकास जनरल स्टोर तक सी०सी० रोड व दोनों साइड नाली का निर्माण कार्य।	1.58
15.	वार्ड न० २९ सुमाष कॉलोनी प्रावीन शिव मन्दिर में शौचालय व स्नानगृह का निर्माण कार्य।	2.49

16.	वार्ड नं 34 इन्द्रा कालोनी गली नं 03 व 04 के बीच में सतीश मावणी के घर से राजीव के घर तक दोनों तरफ नाली का निर्माण कार्य।	2.34
17.	वार्ड नं 35 आदेश इन्द्रा कालोनी में डॉ ईश्वर मलिक की दुकान के सामने शौचालय का निर्माण कार्य।	2.47

५३/१०३/२०
(गजेन्द्र पाल)

प्र० अधिशासी अभियन्ता,

नगर निगम रुद्रपुर

अधमसिंह नगर।

५३/१०३-१०-२० २०
(रिकू विष्ट)

नगर आयुक्त,

नगर निगम रुद्रपुर

अधमसिंह नगर।

पत्रांक:- १६३/२ / साठनि०३नु० / को०स०० / २०२०-२१ P.B

दिनांक- ५ / १० / २०२०

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं नोटिस बोर्ड पर चास्पा किये जाने हेतु।

1. कार्यालय जिलाधिकारी महोदय अधमसिंह नगर।
2. नगर निगम रुद्रपुर अधमसिंह नगर।
3. कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण रुद्रपुर अधमसिंह नगर।
4. श्री तपन राय, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूचना नगर निगम रुद्रपुर की वेबसाइट में अपलोड करना सुनिश्चित करें।

५३/१०३/२०
(गजेन्द्र पाल)
प्र० अधिशासी अभियन्ता,
नगर निगम रुद्रपुर
अधमसिंह नगर।

कोटेशन शर्तें:

1. कोटेशन में प्रतिभाग करने हेतु कोटेशनदाता को नगर निगम रुद्रपुर में वर्ष 2020-21 में सिविल निर्माण कार्यों हेतु ठेकेदारी पंजीकरण होना आवश्यक होगा।
2. कोटेशन प्रपत्रों का लिफाफा सीलबन्द होना अनिवार्य है। स्टेपल पिन से बन्द किये गये कोटेशन लिफाफों को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
3. किसी भी प्रकार का सशर्त/अपूर्ण या ऐसा कोटेशन जिसमें कार्य सम्पादन कराने पर कार्य की गुणवत्ता खराब होने की सम्भावना प्रतीत हो को स्वीकार नहीं किया जायेगा।
4. प्राप्त कोटेशनों में से किसी एक या समस्त कोटेशनों को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा निरस्त करने का समस्त अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम रुद्रपुर में निहित है।
5. समस्त कोटेशनदाताओं को कोटेशन प्रपत्रों के साथ वर्ष 2020-21 में पंजीकरण का प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त हो संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा कोटेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
6. कोटेशन प्रक्रिया हेतु निर्धारित की गई तिथियों में कोई राजकीय अवकाश होने की दशा में उक्त तिथि की प्रक्रिया अगले कार्य दिवस में की जायेगी।
7. कोटेशन लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप में कार्य संख्या व कार्य का नाम एवं ठेकेदार/फर्म का नाम अंकित करना अनिवार्य होगा एवं कोटेशन दरों में ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी तथा कटिंग में हस्ताक्षर किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा ऐसे कोटेशनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. कोटेशन की दरें शब्दों व अंको दोनों अवरथाओं में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा कोटेशन दरें दशमलव बिन्दु के दो अंकों/स्थान तक ही मान्य होगी अन्यथा कोटेशन निरस्त कर दिया जायेगा।
9. स्वीकृत कार्य में खुदाई से निकलने वाली मिट्टी, पुरानी टाईल्स व पुरानी ईट आदि को नगर निगम में जमा करना आवश्यक होगा। ठेकेदार द्वारा उक्त का प्रयोग करने पर भुगतान बिल से कटौती की जायेगी।
10. ठेकेदार को कोटेशन प्रपत्र के साथ ₹0 100.00 का गैरन्यायिक स्टाम्प पेपर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
11. स्वीकृत कार्य को नगर निगम रुद्रपुर में कार्यरत अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता की उपस्थिति में प्रारम्भ करना होगा तथा उनके निर्देशों के अनुसार पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा। कार्य में कोई कमी पाये जाने पर उक्त कमी निश्चित अवधि में सही करने के लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जायेगा, यदि ठेकेदार उक्त समयावधि में कमियां दूर करने में असफल होता है तो नगर निगम को यह अधिकार होगा कि किसी अन्य ठेकेदार से कार्य सही करवा ले। उक्त ठेकेदार द्वारा कार्य की लागत की कटौती प्रथम ठेकेदार के बिल से कर ली जायेगी।
12. कोटेशन समिति की स्वीकृति उपरान्त सफल बोटेशनदाता को 03 दिवस के अन्दर अनुबन्ध करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समयावधि के पश्चात सम्बन्धित कोटेशनदाता को स्वीकृत कार्य को निरस्त कर द्वितीय न्यूनतम कोटेशनदाता (एल-2) के पक्ष में कार्य स्वीकृत करने पर विचार किया जायेगा।
13. सम्पादित कार्य के बिलों के भुगतान में से जमानत धनराशि, रॉयल्टी एवं अन्य आवश्यक कटौतियां नियमानुसार कर ली जायेंगी तथा जी.एस.टी विभाग द्वारा नियमानुसार देय होगा।
14. निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्री की रॉयल्टी जमा करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी तथा इस आशय के अभिलेख कार्यालय में जमा करने अनिवार्य होगे। अभिलेख जमा न करने की स्थिति में रॉयल्टी की कटौती ठेकेदार के भुगतान बिल से कर ली जायेगी।
15. ठेकेदार कार्य को दिए गए समय के अन्दर पूरा नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध लोक निर्माण विभाग के नियमानुसार एवं अधिग्राहित नियमावली 2017 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, तथा मरम्मत के कार्य के लिए ₹0 10 लाख तक संविदा मूल्य का 01 (एक) प्रतिशत प्रतिरापाह तथा अन्य सामरत निर्माण कार्यों में विलम्ब के लिए संविदा मूल्य का 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह, परन्तु अधिकतम संविदा मूल्य का 10 प्रतिशत की दर से पैनलटी वसूली/भुगतान बिल से कटौती की जायेगी। जिसमें ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
16. यदि शासन द्वारा भविष्य में किसी भी प्रकार के अन्य अतिरिक्त करों का आरोपण किया जाता है, तो उसकी कटौती भुगतान बिल से की जायेगी। जिसमें ठेकेदार की पूर्व अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं होंगी।
17. कार्य संतोषप्रद ढंग से पूर्ण होने के पश्चात कार्य समाप्ति के 01 वर्ष 06 माह बाद तकनीकी अधिकारी द्वारा कार्य सन्तोषजनक होने की संस्तुति उपरान्त ठेकेदार को नियमानुसार सिक्योरिटी डिपोजिट की धनराशि वापिस लौटा दी जायेगी।
18. धनराशि के अभाव में ठेकेदार को बिल भुगतान में विलम्ब होने पर किसी भी प्रकार का ब्याज/अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
19. यदि कार्य किये जाने पर किसी प्रकार की समस्या/रुकावट (अतिक्रमण आदि) की समस्या उत्पन्न होती है तो ठेकेदार का कर्तव्य होगा कि वह लिखित में इसकी सूचना नगर निगम को दें। इसी प्रकार कार्य पूर्ण किये जाने पर ठेकेदार द्वारा नगर निगम को सूचित किया जायेगा।
20. ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह कार्य पूर्ण होने पर कार्यस्थल को साफ करेगा तथा गड्ढों आदि को भरेगा।

21. कार्य के मध्य किसी मजदूर आदि के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। इस हेतु नगर निगम किसी भी रूप में जिम्मेदार नहीं होगा।
22. अपरिहार्य रितियों में ठेकेदार द्वारा निर्धारित समय पर कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निर्धारित समय में समय वृद्धि हेतु ठेकेदार को परिस्थिति का विशेष उल्लेख करना होगा तथा उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निर्धारित अवधि को बढ़ाए जाने का अधिकार केवल 01 माह तक अधिशासी अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर को होगा। यदि उक्त समयावधि बढ़ाए जाने के उपरान्त भी उक्त कार्य ठेकेदार द्वारा पूर्ण नहीं किया जाता है, तो परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए 01 माह से अधिक का समय नगर आयुक्त को स्विवेक से बढ़ाने का अधिकार होगा।
23. ठेकेदार निर्धारित समयावधि अन्तर्गत अथवा पुनः समयावधि बढ़ाए जाने पर भी कार्य पूरा नहीं करता है, अथवा छोड़ देता है तो नगर आयुक्त को अधिकार होगा कि वह सम्बन्धित ठेकेदार का ठेका रद्द करते हुए किये गये कार्य का भुगतान रोक दिया जायेगा तथा ठेकेदार को काली सूची में दर्ज कर दिया जायेगा।
24. कोटेशनदाता को कार्यादेश जारी होने के उपरान्त तत्काल नगर निगम के तकनीकी अभियन्ता की उपस्थिति में कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य होगा एवं कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व के फोटोग्राफ एवं कार्य प्रारम्भ, मध्य व कार्य समाप्ति के समय के रैणीन फोटोग्राफ अवर अभियन्ता नगर निगम रुद्रपुर से निरीक्षण करते हुए प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
25. ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करते समय प्रयुक्त निर्माण सामग्री के सैम्प्ल जॉच करना आवश्यक होगा तथा सैम्प्ल की जॉच रिपोर्ट नगर निगम में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। जिसका व्यय विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
26. निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को कोविड-19 के तहत सोशल डिस्टैंसिंग के साथ-साथ भारत सरकार एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा तत्समय जारी दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
27. पक्षों में विवाद की दशा में मामला जिलाधिकारी ऊधमसिंहनगर के पास पंच निर्णय हेतु भेजा जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों को अनिम रूप से मान्य होगा।
- नोट—समस्त कोटेशनदाता उपरोक्त शर्तों का अक्षरण अध्ययन कर उसका पालन सुनिश्चित करें अन्यथा रिति में उनके द्वारा दिये गये कोटेशन निरस्त किये जायेंगे।

(गणेन्द्र पाल)
प्र० अधिशासी अभियन्ता
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रिकू विष्ट)
नगर आयुक्त,
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

(रामपाल सिंह)
महापौर,
नगर निगम रुद्रपुर
ऊधमसिंह नगर।

D. 2
03-10-2020